तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./1725/2023/जयपुर छीतरमल बनाम रामफूल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>खण्डपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित –

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या–2
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 3 व 4

निर्णय

दिनांक 12.04.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या–387/2022 बउनवानी छीतरमल बनाम रामफूल व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–03–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–5 लगायत 11 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद ग्राम खेरा मीणा तहसील आमेर स्थित विवादित कुल किता 24 कुल रकबा 8.11हैक्टयर भूमि बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। उक्त वाद में विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 19–5–2022 से विभाजन के वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित की। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–3–2023 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील को विचारार्थ ग्रहण करने एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलार्थीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./1725/2023/जयपुर छीतरमल बनाम रामफूल	नम्बर व तारीख

प्रदान किये बिना बंटवारे के वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और उसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। जवाबदावा पेश करना उसका विधिक अधिकार है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस विधिक तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को खारिज कर दिया। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए बंटवारे के वाद में अग्रिम कार्यवाही करें।

विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। प्रारम्भिक डिक्री में हिस्से तय होते है और वही आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। वास्वत में मौके पर अपीलार्थी के मकान बन रहे थे और उस सम्बन्ध में विचारण न्यायालय से मकान बनाने की अनुमति सहित उसी आधार पर और उसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया था और उसी आधार पर यह डिक्री पारित की गयी है। इसलिए इस अपील में कोई कानूनी बिन्दू निहित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली रामफूल बनाम छीतरमल वाद संख्या 07/2022 की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि दिनांक 2-2-2022 को वाद पेश हुआ। दिनांक 27-4-2022 को पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत करते हुए आगामी पेशी दिनांक 29-4-2022 नियत की गयी थी और उसके आगामी पेशियां दिनांक 29-4-2022, 4-5-2022, 6-5-2022, 13-5-2022 एवं 18-5-2022 को कोई कार्यवाही नहीं हुई, केवल मोहर लगी हुई है। दिनांक 29-5-2022 को उभयपक्ष की बहस सुनते हुए यह आदेश लिखा गया है कि ''उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन के वाद को न्यायहित में प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है।'' किस पक्षकार का कितना हिस्सा बनता है, किसके आधार पर बनता है, पक्षकारान के क्या अभिवचन है, इस बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है। निर्णय में लिये गये आधारों का उल्लेख होना भी आवश्यक है लेकिन इस निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है और आदेशिकाओं के अवालेकन से यह प्रकट है कि दिनांक 27-4-2022 को पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत थी और जवाबदावे का अवसर प्रतिवादीगण का बन्द किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जबकि जवाबदावा अभिवचन का मुख्य आधार होता है और जवाबदावे के माध्यम से ही प्रतिवादी वाद में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./1725/2023/जयपुर छीतरमल बनाम रामफूल	नम्बर व तारीख

उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करता है और यदि अपना कोई पृथक से हित रखता है तो उसके लिए प्रतिदावा भी कर सकता है लेकिन इस प्रकरण में प्रतिवादी को जवाबदावे का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से यह विधिक त्रुटि है और विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित की है, जो विधिसम्मत् नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने भी सरसरी तौर पर ही अपीलार्थी की अपील खारिज की है और विधिक प्रावधानों पर गौर नहीं किया। इसलिए उक्त निर्णय भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

चूंकि मामला एडमीशन स्तर पर ही है और प्रतिवादी अपीलार्थी को जवाबदावे का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तलब किये बिना ही इस अपील का इसी स्तर पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

परिणामः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील विचारार्थ ग्रहण के स्तर पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या–387/2022 बउनवानी छीतरमल बनाम रामफूल व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–03–2023 एवं विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा वाद संख्या–07/2022 बउनवानी रामफूल बनाम छीतरमल में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–05–2022 निरस्त किये जाते है और विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार बंटवारे के वाद का शीघ्र निस्तारण करें। प्रतिवादी अपीलार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय में आज से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से अपना जवाबदावा प्रस्तुत करें

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 17–05–2023 को उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में उपस्थित हो।

निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य